अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2025-स्था.I दिनांक: 08.08.2025

कार्यालय आदेश

विषय: अस्थायी रूप से आबंटित आवासों को तत्काल खाली करने - संबंधी।

यह आदेश दिनांक 02.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 40-30/2022-स्था.I तथा दिनांक 21.02.2024 के कार्यालय आदेश के संदर्भ में है, जो पूर्वी परिसर में रिक्त सी-I, सी-II एवं डी-II श्रेणी के आवासों के अस्थायी आबंटन से संबंधित हैं। इन आवासों को उस कबाड़ एवं अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग के लिए अस्थायी तौर पर आबंटित किया गया था जिन्हें अनुपयोगी घोषित किया जाना है।

आवासों को खाली करने और कंडेमनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार अनुस्मारक देने के बावजूद, अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि कई विभागों ने अभी तक आबंटित सी-I, सी-II एवं डी-II आवासों को खाली नहीं किया है। यह एक अत्यावश्यक मामला है क्योंकि नए आबंटी इन आवासों पर आबंटन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

परिणामस्वरूप, संबन्धित विभागों को यह निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर आबंटित आवासों को तुरंत खाली कर दें। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) को परिसर को बलपूर्वक खाली कराने का अधिकार है। सीएसओ को आवासों को खाली एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ताले तोड़ने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इन आवासों को बलपूर्वक खाली कराने की स्थिति में होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए विभागाध्यक्ष ज़िम्मेदार होंगे।

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरण (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित):

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्रों के प्रमुखगण/अध्यक्ष, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी
8. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2025-Estt.I 08.08.2025

OFFICE ORDER

Subject: Immediate Vacation of Temporarily Allotted Residences – Reg.

Reference is invited to the Office Memorandum No. 40-30/2022-Estt.I dated 02.11.2022 and Office Order dated 21.02.2024 regarding temporary allotment of vacant C-I, C-II, and D-II category residences in East Campus for use as holding areas for scrap and waste materials awaiting condemnation.

Despite multiple reminders for completion of the condemnation exercise and vacation of the allotted accommodations, it has come to the notice of the undersigned that several departments have not yet vacated the allotted CI, CII & DII houses. This matter is of urgency as new allottees are awaiting possession of these accommodations.

Accordingly, it is hereby directed that respective departments must immediately vacate the allocated residences within 7 days from the issue of this order, failing which the concerned premises will be forcefully vacated by the Chief Security Officer (CSO), who is authorized to break open the locks and ensure that the accommodations are cleared and secured. In case of such forceful vacation of the houses, the Heads of the concerned departments shall be responsible for any damages or losses.

8/8/2025

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Chief Security Officer
8. Prof. I/c Computer Facility